



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267441
CG-DL-E-07112025-267441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]
No. 705]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/ कार्तिक 12, 1947
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/ KARTIKA 12, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2025

फा.सं. एसएस-टी0एसपी21(नोटि)/1/2025-स्टैंडर्ड-एफएसएसआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (फ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हों तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 को संबोधित किए जा सकते हैं या regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उपरोक्त अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2025 कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में,-
 - (1) भाग 3 में, स्पार्कलिंग वाइन से संबंधित विनियम 3.1.2.2 में, ब्रूट से संबंधित खंड (i) में, '1.2 प्रतिशत से कम चीनी' शब्दों के बाद, '0.3 प्रतिशत की सह्य सीमा के साथ' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
 - (2) भाग 3 में, वाइन आधारित पेय से संबंधित विनियम 3.1.6 में, 'या प्रयुक्त विशेष वाइन' शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (3) भाग 5 में, मानक पेय की लेबलिंग से संबंधित विनियम 5.2 में, 'जा सकता है' के स्थान पर 'जाए' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./439/2025-26]

नोट.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. 2/एसए-24/2009(1)/एफएसएसआई, दिनांक 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिमित बार अधिसूचना संख्या फा.सं. मानक/एसपी-21/टी(अल्कोहल-6), दिनांक 20 जून, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2025

F. No. SS-T0SP21(NOTI)/1/2025-Standard-FSSAI.—The following draft of certain regulations to further amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2025.

2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018,-

- (1) In part 3, regulation 3.1.2.2 relating to Sparkling wine, in clause (i) relating to Brut, after the words 'sugar content below 1.2 per cent', the words 'with a tolerance of 0.3 per cent' shall be inserted.
- (2) In part 3, regulation 3.1.6 relating to Wine Based Beverages, the words 'or special wine used' shall be deleted.
- (3) In part 5, regulations 5.2 relating to Labeling of standard drink, for the word 'may', the word 'shall' shall be substituted.

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./439/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated the 19th March, 2018 and last amended *vide* notification numbers F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-6) dated the 20th June, 2025.